निरीक्षण आख्या

दिनांक 27.01.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा होली गेट क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, कर्नल योगेन्द्र सिंह प्रभारी प्रवर्तन दल एवं समस्त स्वच्छता निरीक्षक उपस्थित रहे।

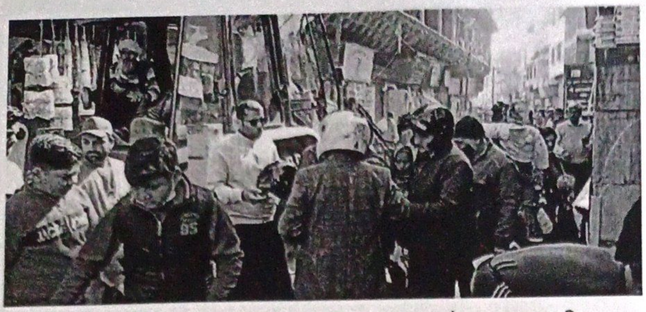

1— श्री द्वारिकाधीश मंदिर के पास झिझरी पर कूड़ा पाया गया निरीक्षण के दौरान स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रतिउत्तर में अवगत कराया गया कि दशमुखी गणेश एवं गणेश चौक पर यदि जाली लगा दी जाये तो श्री द्वारिकाधीश मंदिर के पास की झीझरी में कूड़ा एकत्र नहीं होगा। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिविल को निर्देशित किया गया कि 02 दिवस के अन्दर जाली लगवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही —अधिशासी अभियन्ता सिविल)

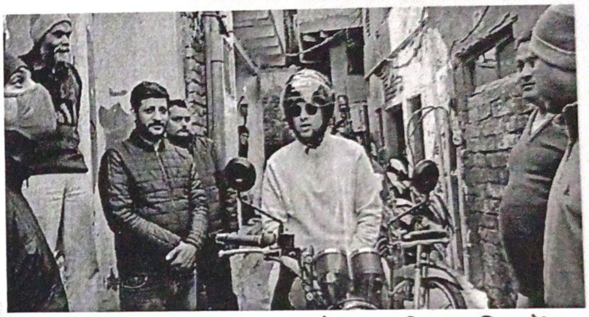

2— इसके उपरान्त छौंका पाडा, रतन कुण्ड, हाथी गली, गुर्जर हट्टा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थलों पर गन्दगी पायी गयी। जिस पर श्री दीपक कुमार स्वच्छता निरीक्षक एवं श्री सुरेश सुपरवाईजर का माह जनवरी 2021 को वेतन काटा जाता है तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया आगामी 07 दिवस में सभी गलियों का निरीक्षण करते हुये विशेष सफाई करायी जाये, जो नालियां बन्द है उन्हें प्रवर्तन दल की टीम को साथ लेकर खुलवाया जाये, यदि किसी व्यक्ति द्वारा विरोध उत्पन्न किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये, इसके अतिरिक्त सफाई कर्मियों को निर्देशित किया जाये कि ढकेल से कूड़ा एकत्रित कर कूड़ा निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाये। वार्ड सं0 57, 59, 68 पुराने मथुरा शहर में आने वाले समस्त वार्डों में प्रत्येक दिन 05 गलियों का निरीक्षण किया जाये एवं समस्त गलियों में संतोषजनक रूप से सफाई करायी जाये।

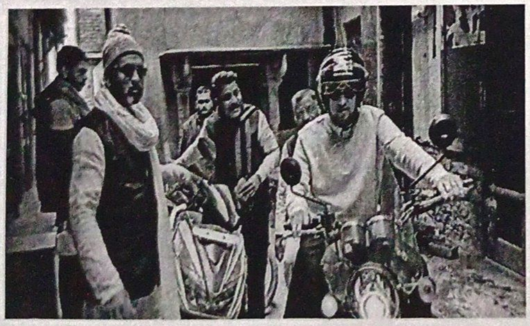

(कार्यवाही—क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षक)

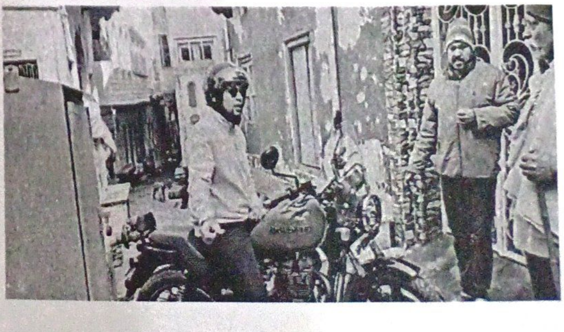

3— गली नगला पायसा, शीतला पायसा में स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया कि नगर निगम द्वारा उक्त गलियों में सडक निर्माण कार्य कराया

जाना प्रस्ताव है, जिस पर स्थानीय निवासियों द्वारा मांग की गयी कि उक्त सडकों का निर्माण कार्य पूर्व में बने मकानों/भवनों के लेबिल में ही किया जाये।

(कार्यवाही –अधिशासी अभियन्ता सिविल)

4– शीतला पायसा में निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा एक सडक निर्माण कार्य कराया गया है जिसकी गुणवत्ता सही नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिविल को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाये तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता को स्पष्टीकरण जारी करें, कि उनके द्वारा निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक क्यों नहीं कराया गया। निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य के अनुबंध में 05 साल के मैन्टीनेन्स का प्राविधान किया गया है, सम्बन्धित ठेकेदार से सडक की मरम्मत गुणवत्ता पूर्व करायी जाये।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता सिविल)

27.1.21

(रविन्द्र कुमार मांदड)
नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

संख्या–751/एसटी/निरी0/2020–21 दिनांक–27 जनवरी,2021

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. लेखाधिकारी, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
5. श्री अभिषेक, आई0टी0 को इस आशय से कि पोर्टल पर अपलोड पर करने हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।